

बिहार सरकार

वित्त विभाग

अ धि सू च ना

सं०-एम-4-12/2015(खंड)....8478..../वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-30 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

पटना दिनांक-28-10-16

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

- (1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी ।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-30 के उपनियम-(xviii) के बाद निम्नलिखित उपनियम-(xix) जोड़ा जाएगा:-

“(xix) वाह्य संपोषित योजनाओं यथा World Bank, ADB, DFID आदि संपोषित योजनाओं के Financial Agreement/Procurement Guidelines में इन संस्थाओं के Financial Management Guidelines/Procurement Guidelines के अनुपालन की जहाँ अनिवार्यता/बाध्यता हो, वहाँ बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम लागू नहीं होंगे ।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Amiral
(रवि मित्तल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015(खंड)....8478..../वि०

पटना, दिनांक-28-10-16

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

Amiral
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015(खंड)....8478..../वि०

पटना, दिनांक-28-10-16

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Amiral
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015(खंड)....8478..../वि०

पटना, दिनांक-28-10-16

प्रतिलिपि:-ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Amiral
प्रधान सचिव
28/10/16